भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1632
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

जनरेटिव एआई के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

1632. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लोक सेवाओं में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश विकसित किए हैं;

(ख) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एआई अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टियर 2/3 शहरों में स्टार्टअप्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नवाचार कोष के अंतर्गत सहायता मिल रही है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या डिजिलॉकर या न्यू-एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) जैसी नागरिक सेवाओं के लिए कोई डेटा सुरक्षा ऑडिट किया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शासन के लिए एक समावेशी और नवाचार-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था द्वारा समर्थित है।

सरकार ने सर्ट-इन के माध्यम से एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई एडवाइज़री जारी की हैं। इनमें शामिल हैं:

- एआई भाषा-आधारित अनुप्रयोगों के सुरक्षा निहितार्थों पर एडवाइज़री (9 मई 2023)
- जनरेटिव एआई समाधानों में सुभेद्याताओं के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों पर एडवाइज़री (26 मार्च 2025)
- सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एआई, और क्वांटम और क्रिप्टोग्राफी आवश्यकता के लिए बिल ऑफ़ मटेरियल (बीओएम) के लिए तकनीकी दिशानिर्देश (9 जुलाई 2025)

इसके अतिरिक्त, सर्ट-इन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर (सीएसपीएआई) कार्यक्रम शुरू किया है। यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों को एआई सिस्टम की सुरक्षा, एआई से जुड़े खतरों से निपटने और एआई की विश्वसनीय तैनाती सुनिश्चित करने के कौशल से लैस करता है।
प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एआई पर एक सलाहकार समूह का भी गठन किया गया है, ताकि एआई के लिए भारत-विशिष्ट नियामक ढांचा विकसित किया जा सके।

सरकार ने राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईआईटी हैदराबाद और आईआईटी बीएचयू में ये केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ।

जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस) योजना के तहत, टियर II और टियर III शहरों में लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जा रही है ।

(**घ**) डिजिलॉकर ने ISO 27001:2022 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ऑडिट करवाया है। इसे निर्धारित मानकों, सुरक्षा नीति और लागू नियामक एवं संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत प्रमाणित किया गया है।

उमंग के लिए नियमित वार्षिक आंतरिक ऑडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसटीक्यूसी द्वारा एक अलग साइबर सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। उमंग मोबाइल नंबर के अलावा कोई भी उपयोगकर्ता डेटा संग्रहीत नहीं करता है। सभी डेटा स्थानांतरण एन्क्रिप्टेड एपीआई के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे सुरक्षित संचार सुनिश्चित होता है।

(**ङ.**) सरकार ने 26 मई 2022 को सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा प्रकाशित किया । विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि गैर-संवेदनशील डेटा का साझाकरण राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुगम्यता नीति (एनडीएसएपी), 2012 द्वारा नियंत्रित होता रहेगा।

****